(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

<u>अधिसूचना</u>

सं. 19/2017-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक, 12 मई, 2017

सा0का0नि0 (अ)- अभिहित प्राधिकारी ईरान (जिसे इसके बाद विषयगत देश कहा गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "क्लियर फ्लोट ग्लास जिनकी न्यूनतम मोटाई 4 मिमी. से 12 मिमी. है " (जिसे इसके बाद विषयगत माल कहा गया है) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय शीर्ष 7003, 7004, 7005, 7009, 7013, 7015, 7016, 7018, 7019 और 7020 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं, के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1, तारीख 20 मार्च, 2017 में प्रकाशित अधिसूचना फा. सं. 14/7/2015-डीजीएडी, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि-

(i) विषयगत माल का निर्यात विषयगत देश से इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर भारत में निर्यात किया गया है;

(ii) विषयगत देश से विषयगत माल के आयात के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है;

(iii) वास्तविक क्षति विषयगत देश से पाटित आयातों के कारण हुई है;

और यह सिफारिश की है कि विषयगत देश में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की जाने वाली विषयगत माल के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाए, ताकि घरेलू उद्योग को क्षति से बचाया जा सके ।

इसलिए अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, उसका मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (1) तथा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार प्राधिकृत प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार

पर एतदद्वारा विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, जो कॉलम (2) में सामने की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, कॉलम (4) में सामने दी गई प्रविष्ट में विनिर्दिष्ट देश में उद्धत हैं और कॉलम (5) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित हैं और कॉलम (6) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादक द्वारा उत्पादित हैं तथा कॉलम (7) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातक द्वारा निर्यातित हैं, और भारत में आयातित हैं, पर उक्त सारणी के कॉलम (9) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप की प्रति यूनिट, कॉलम (10) में विनिर्दिष्ट मुद्रा में एवं कालम (8) में सामने दी गई प्रविष्टि राशि के समतुल्य प्रतिपाटन शुल्क दर लगाती है ।

सारणी

क्र.स.	टैरिफ मद	उपशीर्ष	उदगगम देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	मापन की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	7003, 7004 7005, 7009, 7013, 7015, 7016, 7018, 7019, या 7020	बीआईएस के अनुसार 14900:2000 न्यूनतम मोटाई 4 मिमी. से 12 मिमी. (दोनों सम्मिलित) के क्लियर फ्लोट ग्लास	ईरान	ईरान	मैसर्स कावेह फ्लोट ग्लास कंपनी ईरान	मैसर्स बिस्माक जीएम बीएच कंपनी, जर्मनी	शून्य	मी. टन	अमरीकी डालर
2	7003, 7004 7005, 7009, 7013, 7015, 7016, 7018, 7019, या 7020	बीआईएस के अनुसार 14900:2000 न्यूनतम मोटाई 4 मिमी. से 12 मिमी. (दोनों सम्मिलित) के क्लियर फ्लोट ग्लास	ईरान	ईरान	मैसर्स अर्दाकन फ्लोट ग्लास कंपनी, ईरान	मैसर्स सिंबल व्हाइट इंटरनेशनल एलएलसी, ओमान	52.32	मी. टन	अमरीकी डालर
3	7003, 7004 7005,	बीआईएस के अनुसार	ईरान	ईरान	क्रमांक 1 और 2 से भिन्न कोई अन्य देश		55.59	मी. टन	अमरीकी डालर

	7009, 7013, 7015, 7016, 7018, 7019, या 7020	14900:2000 न्यूनतम मोटाई 4 मिमी. से 12 मिमी. (दोनों सम्मिलित) के क्लियर फ्लोट ग्लास							
4	7003, 7004 7005, 7009, 7013, 7015, 7016, 7018, 7019, या 7020	बीआईएस के अनुसार 14900:2000 न्यूनतम मोटाई 4 मिमी. से 12 मिमी. (दोनों सम्मिलित) के क्लियर फ्लोट ग्लास	ईरान	कोई	कोई	कोई	55.59	मी. टन	अमरीकी डालर

2. लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (जब तक कि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है और इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है) उद्‌गृहीत किया जाएगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना होगा।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के आशय से, ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन में लागू ''विनिमय दर'' वहीं होगी जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की द्‌वारा प्रदत्त शक्तियों शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) द्‌वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है तथा विनिमय की दर के निर्धारण की तारीख वह होगी जो उपर्युक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी ।

[फा.सं. 354/205/2016-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार